(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 95/2023

पंजीकरण संख्या :– 2023/214

बउनवान

1. जयश्री उर्फ श्री आयु 60 वर्ष पुत्री नन्दा पत्नी राजबाबू जाति चिडार निवासी बापचा हाल मयूर कॉलोनी गुना जिला गुना (म.प्र.)
2. लालीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री नन्दा पत्नी स्व. प्रेमनारायण जाति चिडार निवासी गोडिया मेहर तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र नन्दा जाति चिडार निवासी बापचा हाल निवासी मठकेरी कॉलोनी गणेश टॉकिज के पीछे गुना जिला गुना (म.प्र.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 415 दर्ज दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 08.04.2024

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण 415 दर्ज दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया है जिसकी रसीद पत्रावली मे संलग्न है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट के अभिभाषक की लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ओर उसे स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर अपीलांट के अभिभाषक एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि ग्राम बापचा की आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 701 रकबा 3 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 704 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 740 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा आराजी मे 1/2 हिस्सा अपीलांटगण/रेस्पो0 क्रम 1 के पिता नन्दा पुत्र कलुवा जाति चिडार के नाम दर्ज थी, उपरोक्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तेनी आराजियात है। जिस पर अपीलांटगण का जन्म से ही अधिकार है।

मृतक नन्दा के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :– नन्दा पुत्र कलुवा (फोत) जिसकी मायाबाई बेवा (मृतक) एवं हरगोविन्द(पुत्र) एवं जयश्री उर्फ श्री (पुत्री) एवं लालीबाई (पुत्री) यह कि अपीलांटगण के पिता के देहान्त के पश्चात रेस्पो0 क्रम 1 ने राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो से मिलीभगत कर केम्प बापचा मे मृतक नन्दा का फोती नामान्तरकरण अपने आपको एक मात्र वारिस बताकर अपने नाम खुलवा लिया जबकि मृतक नन्दा की दो पुत्रियां अपीलांटगण है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 27.01.1983 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तस्दीक किया गया है उक्त नामान्तरकरण मे उत्तराधिकार मे ना तो कोई वारिसान की जांच की गई जबकि नन्दा के फोत होने के पश्चात बेवा व पुत्रियो का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिये था। परन्तु रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये तथा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्व तरीके से खोला गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण प्रक्रिया विहिन होने के कारण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने पर हुई ततपश्चात अपीलांटगण द्वारा नकल के लिये आवेदन किया जिस पर दिनांक 12.04.2023 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मृतक नन्दा पुत्र कलुवा जाति चिडार के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित फरमावे।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण केम्प मे तस्दीक किया गया है। जिसमे नन्दा पुत्र कलुवा के (फोत) होने पर उसका परिवार का सजरा भी नही दर्शाया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक नन्दा पुत्र कलुवा जाति चिडार के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **08.04.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ